भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2752
(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों से बढ़ता पलायन

2752. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि देश के विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों से सूखा, कृषि संकट तथा सीमित ग्रामीण रोजगार के कारण पलायन की प्रवृत्ति बढ़ रही है और यदि हाँ, तो राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत कुछ वर्षों के दौरान राजस्थान तथा विशेषकर दौसा संसदीय क्षेत्र सहित राज्य, संघ राज्यक्षेत्र, जिला तथा वर्ष-वार ग्रामीण श्रमिकों के पलायन का ब्यौरा क्या है;

(ग) वीबी- ग्राम-जी तथा अन्य ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अंतर्गत सृजित मानव-दिवसों की राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है तथा इससे राजस्थान और दौसा को कितना लाभ हुआ है; और

(घ) क्या सरकार के पास दौसा तथा पूर्वी राजस्थान जैसे सूखा एवं कृषि संकट से प्रभावित क्षेत्रों में पलायन रोकने, आजीविका सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय "विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी" योजना कार्यान्वित कर रहा है, जो एक मांग-आधारित मज़दूरी रोजगार कार्यक्रम है और टिकाऊ एवं उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों का सृजन करने के साथ ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार की गारंटी देते हुए आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान है। यह कार्यक्रम अन्य ग्रामीण विकास एवं संबद्ध योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से समग्र सरकारी

दृष्टिकोण अपनाता है तथा जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और प्रतिकूल मौसम से होने वाली घटनाओं को कम करने से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देता है, जिससे सतत आजीविका अवसरों को बढ़ावा मिलता है और पलायन में योगदान देने वाली संकटपूर्ण स्थितियां कम होती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय सूखे, कृषि संकट या सीमित ग्रामीण रोजगार के कारण होने वाले पलायन सहित ग्रामीण श्रमिक पलायन का आंकड़ा नहीं रखता है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना और वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 (दिनांक 31.07.2026 तक की स्थिति अनुसार) के दौरान राजस्थान और दौसा जिला सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सृजित श्रम-दिवसों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ): वीबी-जी राम जी योजना में सूखा, कृषि संकट, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य असाधारण परिस्थितियों से प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने और अतिरिक्त रोजगार सृजित करने हेतु व्यापक प्रावधान हैं। यह कार्यक्रम कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करने, ग्रामीण उद्यमों को संवर्धित करने और सतत आजीविका परिसंपत्तियों के सृजन हेतु आजीविका अवसंरचना कार्यों के साथ-साथ जल सुरक्षा, जलवायु सहनशीलता और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देता है।

जलवायु सहनशीलता और अनुकूलन को कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य प्राथमिकताओं के रूप में शामिल किया गया है। अधिनियम की अनुसूची में "प्रतिकूल मौसम से होने वाली घटनाओं को कम करने और आपदा तैयारी हेतु विशेष कार्य" नामक एक समर्पित विषयगत श्रेणी शामिल है, जिसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन तथा बाढ़, चक्रवात, तूफान, सूखा, भूस्खलन, वनाग्नि और अन्य प्रतिकूल मौसम से होने वाली घटनाओं से ग्रामीण समुदायों एवं परिसंपत्तियों की सुरक्षा पर बल दिया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत उदाहरणात्मक कार्यों में चक्रवात एवं बाढ़ आश्रय स्थल, आपदा-सहनशील सामुदायिक अवसंरचना, तटबंध और डायवर्जन चैनल, और बाढ़ प्रबंधन हेतु जल निकाय, आपदाओं से क्षतिग्रस्त ग्रामीण अवसंरचना का पुनर्स्थापन तथा वनाग्नि प्रबंधन कार्य शामिल हैं। ये प्रावधान सामूहिक रूप से जलवायु-सहनशील गांवों, सतत ग्रामीण आजीविका और बेहतर रोजगार अवसरों को बढ़ावा देते हैं, जिससे संकटपूर्ण पलायन को कम करने में सहायता मिलती है।

लोक सभा में दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2752 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी नरेगा योजना और वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान (दिनांक 31.07.2026 तक की स्थिति अनुसार) सृजित श्रम-दिवसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

		सृजित श्रम दिवस लाखों में	
क्र.सं.	**राज्य**	**2025-26 (मनरेगा)**	**2026-27 (मनरेगा+वीबी-जी राम जी)**
1	आंध्र प्रदेश	1859.59	1535.40
2	अरुणाचल प्रदेश	222.24	12.91
3	असम	561.80	231.46
4	बिहार	2232.16	739.84
5	छत्तीसगढ़	1096.36	435.42
6	गोवा	0.55	0.18
7	गुजरात	312.66	77.76
8	हरियाणा	72.13	7.96
9	हिमाचल प्रदेश	230.56	20.92
10	जम्मू और कश्मीर	444.41	49.98
11	झारखंड	1143.59	114.82
12	कर्नाटक	796.74	184.24
13	केरल	775.05	165.60
14	लद्दाख	21.71	3.87
15	मध्य प्रदेश	1906.95	280.27
16	महाराष्ट्र	1558.88	376.04
17	मणिपुर	248.81	103.45
18	मेघालय	315.22	29.64
19	मिजोरम	198.78	71.88
20	नागालैंड	119.78	13.60
21	ओडिशा	1266.32	164.56
22	पंजाब	242.04	33.52
23	राजस्थान	2104.71	766.02
24	सिक्किम	23.99	0.75
25	तमिलनाडु	1753.33	394.99
26	तेलंगाना	731.63	712.09
27	त्रिपुरा	262.53	98.78
28	उत्तर प्रदेश	2406.08	385.85

29	उत्तराखंड	131.81	14.67
30	पश्चिम बंगाल	0.00	1.32
31	अंडमान और निकोबार	0.63	0.29
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2.71	0.97
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00
34	पुदुचेरी	11.59	3.26
	कुल	**23055.34**	7032.29
	जिला-दौसा	15.72	6.04